# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

**राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 97 / 2024 / बाड़मेर**

| **अपीलांट** | **रेस्पोडेंटगण** |
|---|---|
| हुसैन वल्द हाजी गुमाना, जाति मुसलमान निवासी कन्टालिया का पार, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर | 1. श्रीमान तहसीलदार रामसर, जिला बाड़मेर<br>2. शकूर पुत्र कादरा<br>3. गफूर पुत्र कादरा कायम मु.<br>3/1हुसैन पुत्र गफूर<br>3/2रजाक पुत्र गफूर<br>3/3हलीमा पत्नी गफूर<br>जातियान मुसलमान निवासी कन्टल का पार, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रामसर द्वारा राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 40/2023 बउनवान शकूर खां वगैरह बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 18.09.2024 के विरूद्ध पेश हुई।**

**उपस्थिति**

1. वकील श्री पीराणे खान अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राणाराम गौड़ उतरदाता संख्या 02 की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः–23.04.2025**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उत्तरदाता संख्या 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि पैतृक आधिपत्य खेत खसरा संख्या 158 रकबा 87.10 बीघा, खसरा संख्या 156 रकबा 15.14 बीघा मौजा कन्टालिया का पार तहसील रामसर, जिला बाड़मेर में वक्त सेटलमेंट में वादी के पूर्वज कादरा की खातेदारी भूमि थी। खेत खसरा संख्या 158 का मूल रकबा 122 बीघा व खेत खसरा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संख्या 156 मूल रकबा 11 हल यानि 63.07 बीघा था वर्तमान वादी के पिता कादरा का पुत्र नसीर खां वक्त सेटलमेंट से पूर्व कब्जा काश्त का पुत्र नसीर खां वक्त सेटलमेंट से पूर्व कब्जा काश्त था। खसरा संख्या 158 का वास्तविक रकबा 122 बीघा के स्थान पर केवल मात्र 87.10 बीघा ही रकबा अंकित किया एवं इसी प्रकार खसरा संख्या 156 का वास्तविक रकबा 63.07 बीघा के स्थान पर केवल मात्र 35.14 बीघा गलत रूप से कम रकबा अंकित किया जबकि विधि अनुसार वास्तविक रकबे का अंकन किया जाना चाहिए था। इसलिए हस्तगत वाद एवं आवेदन अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन की पत्रावली को मूल वाद के संलग्न कर फैसल शुमार कर दिया था। उसके पश्चात प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 151 सी पी सी में अवैधानिक तरीके से अपीलांट के विरूद्ध आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित मौका दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई समुचित कारण दिये वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी पी सी पत्रावली फैसल शुमार होने के पश्चात बिना विधिक पत्रावली तलब करने का प्रार्थना–पत्र तथा प्रार्थना–पत्र 151 सी पी सी के साथ में शपथ–पत्र के बिना तथा जिस दिन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाता है उसी दिन एकपक्षीय प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाता है उसी दिन एकपक्षीय प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर लिया जाता है तथा अपीलांट का नाम उल्लेख कर अतिक्रमण हटाने तथा विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने में तथा धारा 151 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने में विधि के मूलभूत सिद्धांतों से परे जाकर स्वीकार किया है। अपीलार्थी को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही सम्पूर्ण भूमि पर स्थगन आदेश पारित करवा लिया। अपीलार्थी को यह पूर्ण रूप से विधिक एवं मालिकाना हक अधिकार प्राप्त है कि वह अपनें स्वामित्व व राजस्व रेकर्ड में अपने नाम से दर्ज भूमि पर तथा कब्जासुदा हक अधिकार की भूमि पर निर्माण करवाकर उपयोग व उपभोग कर सकता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित किये जाने की वजह से अपीलार्थी ना केवल अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो रहा है बल्कि वह अपने मालिकाना हक अधिकार की

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सम्पति का उपयोग एवं उपभोग करने से भी वंचित हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 151 सी पी सी के तहत अर्न्तनिहित शक्ति केवल उन परिस्थितियों में लागू की जा सकती है जहां वैकल्पिक उपाय मौजूद नहीं हो। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत एसएलपी नं. 7015/2022 में सिद्धांत प्रतिपादित किया कि धारा 151 में जहां वैकल्पिक उपाय नहीं हो वही कार्यवाही की जा सकती है जबकि उक्त अपीलाधीन आदेश में वैकल्पिक उपाय मौजूद होने के बावजूद एकतरफा कार्यवाही की गई। विवादित भूमि में अपीलार्थी खातेदार है जबकि मौके पर भूमि का विभाजन हो रखा है तथा अपीलार्थी अपने हिस्से की भूमि पर बहैसियत मालिक के काबिज है जबकि वास्तविकता में अपीलार्थी अपने स्वयं के हक हिस्से की भूमि पर काबिज व काश्त है तथा उक्त भूमि का पूर्व में स्वेच्छा से विभाजन हो रखा है। इस कारण अपीलार्थी अपने मालिकाना हक अधिकार व हिस्से की भूमि पर निर्माण करवाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु हम अपीलांट के पक्ष में है। अपीलांट हितबद्ध एवं पिड़ित पक्षकार है। इसिलए अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–AIR 1992 Page 215, LIVELAW (SC) 2022 Page 698, RJT 2020(1) Page 425, RRT 2023(1) Page 1, RRT 2022-23(Supp.) Page 1, RRT 2011(2) Page 721, RRT 2022(1) Page 184, RRT 2022(1) Page 503, RBJ 2022 Page 2, RRT 2024(1) Page 329, RRT 2024(2) Page 747, RRD 1992 Page 440, RRD 2004 Page 73, RRT 2006-07(Supp.) Page 271

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि उत्तरदाता की ओर से राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर अधीनस्थ न्यायायल द्वारा ताफैसला यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये थे। तत्पश्चात अपीलकर्ता एवं उसके सहयोगियों द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अवैध अतिक्रमण करने पर आमादा हुए एवं अवैध रूप से विद्युत संबंध स्थापित करने पर उत्तरदाता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त अतिक्रमण को ध्वस्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता व उनके सहयोगियों द्वारा किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिनांक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

18.09.2024 को किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर एकतरफा स्थगन आदेश विधि विरूद्ध प्राप्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी भूमि के पास अवस्थित गैप की भूमि के संबंध में वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें खातेदारी भूमि वादग्रस्त भूमि नहीं है परन्तु अपीलकर्ता द्वारा एकपक्षीय रूप से प्राप्त स्थगन आदेश का दुरूपयोग कर समस्त खातेदारी भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेखों पर तहसीलदार, रामसर से मिलकर नोट लगा दिया गया। जिससे उत्तरदाता अपने खातेदारी भूमि के संबंध में के सी सी इत्यादि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। माननीय न्यायालय के आदेश से अपीलांट अपने खातेदारी अधिकारों का उपयोग एवं उपभोग नहीं कर पा रहा है। अपीलांट अपने नाजायज मकसद में सफल हो जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु हम उत्तरदाता के पक्ष में हैं। अपीलांट हस्तगत प्रकरण में आवश्यक एवं पिड़ित पक्षकार नहीं है। अपीलाधीन आराजी में अपीलांट का कोई हक हिस्सा नियत नहीं है। इसलिए अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति नहीं दी जावे। अपीलांट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होता है। अतः अपीलांट की अपील मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक स्थगन आदेश जारी करने के बावजूद भी अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि पर विधि विरूद्ध तरीके से किये गये अतिक्रमण को हटाने के आदेश पारित किये गये। हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजा पेश नहीं किया गया जिससे साबित होता हो कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट को कोई हक निहित हो। हाजा न्यायालय के स्थगन आदेश की आड़ में अन्य खातेदारों के विभाजित खसरों पर स्थगन आदेश का नोट लगाया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल वाद एवं आवेदन में अपीलांट पक्षकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से साबित है कि अपीलांट अवैधानिक तरीके से वादग्रसित भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है। अपीलांट पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से हितबद्ध, आवश्यक एवं पिड़ित पक्षकार नहीं है। इसलिए अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिक
बाड़मेर

कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रामसर द्वारा राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 40/2023 बउनवान शकूर खां वगैरह बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेष दिनांक 18.09.2024 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

23/5/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/5/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर